ROOTINDEXING
JOURNAL ABSTRACTING AND INDEXING SERVICE
INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in July 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

स्व सहायता समूह : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

सुनिता संतोष पवार, पी–एच.डी. (छात्रा), जे.जे.टी.विश्वविद्यालय
डॉ. योगेश सिंह, शोध निर्देशक, जे.जे.टी.विश्वविद्यालय

शोध आलेख सारांश

स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से निर्मित उन छोटे एवं स्वैच्छिक समूहों से है जो समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य समस्याओं अथवा कमियों से छूटकारा पाने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित होते हैं। इनके निर्माण का पहलकर्त्ता एक–दूसरे से सामाजिक अर्न्तक्रिया तथा सभी सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देता है।

दूसरे शब्दों में, स्वयं सहायता समूह सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति दिलाने तथा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करने का स्वैच्छिक संगठन है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रायः समानहित, समान लिंग, समजातीय, समवर्गीय तथा परस्पर एक–दूसरे को जानने वाले होते हैं अर्थात् इनमें विषमता नहीं पायी जाती है।

विस्तृत अर्थ में, जब 10 से 20 गरीब महिला जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति एक ही तरह की हो जो एक–दूसरे के साथ आस–पड़ोस में रहते हो और वे अपनी इच्छा से स्वयं सहायता समूह में जुड़ते है। उनका उद्देश्य होता है अपना और समूह के सदस्यों की गरीबी को कम करना एवं अपने जीवन स्तर को बढ़ाना। सदस्य सामूहिक रूप से समूह का संचालन करते हैं और समूह के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं। ऐसे समूह को हम महिला स्वयं सहायता समूह कहते हैं।

मूल शब्द – मजदूरी, रोजगार एवं ग्रामीण विकास।

भूमिका –

स्वयं सहायता समूह या SHG या Self Help Affinity Group या समान रूचि समूह (Common Interest Group) या सहारा देने वाले समूह (Support Group) निर्धन व्यक्तियों के लिए सामाजिक–आर्थिक संबल है। इन्हें बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, लेटिन अमेरिकी देशों में एकता समूह (Solidarity Groups), थाईलैण्ड में Joint Liability Groupt तथा केरल में कुदुम्बश्री (Neighbourhood Groups) कहा जाता है। यह वह आन्दोलन है जो सूक्ष्म वित्त के माध्यम से निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक–सामाजिक विकास को सुनिश्चित करता है। स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा प्रत्यक्षतः सूक्ष्म वित्त (Micro Finance or Miero Credit) से जुड़ी हुई है अतः इनका अध्ययन एक साथ किया जाता है। निर्धन व्यक्तियों को देय सूक्ष्म वित्त उनकी आजीविका संचालन हेतु बिना कुछ गिरवी रखे दी जाने वाली ऋण राशि को बताता है।

सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वथा नई नहीं हैं। सम्पूर्ण विश्व में निर्धन तथा साधनहीन व्यक्ति मिल–जुल कर आर्थिक विकास के प्रयास करते रहे हैं। भारत में प्रवर्तित रही चिटफंड, श्रीलंका में चीटू, घाना में सुसुस, मैक्सिको में टण्डास, इण्डोनेशिया में अरिसन, पश्चिमी अफ्रीका देशों में टोनटाइन्स तथा बोलिविया में पासानाकु इत्यादि गतिविधियाँ लघु वित्त की परिचायक थीं। बैंको की अवधारणा के विस्तार के साथ ही सूक्ष्म वित्त के प्रति नई सोच उत्पन्न होने लगी। सुप्रसिद्ध पुस्तक Gulliver's Travel, 1726 के लेखक तथा आयरलैण्ड के राष्ट्रभक्त जोनाथन स्विफ्ट (1667–1745) द्वारा 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में निर्धन व्यक्तियों के उत्थान हेतु आयरिश लोन फंड सिस्टम की शुरूआत हुई। सन् 1840 तक आयरलैण्ड में 20 प्रतिशत परिवारों तक लघु अवधि के ऋणों की पहुँच हो चुकी थी। शीघ्र ही यह विचार सम्पूर्ण यूरोप में People's Banks, Credit Unions तथा Saving and Credit Co-operative के नाम से लोकप्रिय हो गया। साख संघों (Credit Unions) की अवधारणा फ्रेडरिक विल्हम रैफिसेन तथा उनके समर्थकों द्वारा
प्रचारित हुई। कालान्तर में ऐसे प्रयास इण्डोनेशिया, लैटिन अमेरिका देशों, भारतीय उप महाद्वीप तथा अफ्रीकी देशों में पहुँच गए।

भारत में गुजरात राज्य में सुश्री इला भट्ट (रेमन मेग्सेसे पुरस्कार प्राप्त) के निर्देशन में 1972 से ही (सेवा–SEWA अर्थात Self Employed Women's Association) के नाम से महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान कर उन्हें उत्पादक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सफल प्रयास माना जाता है। दक्षिण में संघमित्र या MYRADA (Mysore Resettlement and Development Agency) ने इस अवधारणा को 80 के दशक में लोकप्रिय बनाया। स्वयं सहायता समूहों का उदय कब और कहाँ हुआ, इसे सुनिश्चित तौर पर निश्चित

कर पाना कठिन है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम सन् 1976 में बांग्लादेश के चटगाँव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मुहम्मद युनूस के द्वारा विकसित किया गया, जो सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में बांग्लादेश में व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया। सन् 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ ही सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया जिसने बांग्लादेश में गरीबी को कम करने, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा कई लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करने का काम किया। जिससे सूक्ष्म वित्त की अवधारणा के उपयोगिता को चार–चाँद लग गये। जिसके लिए 2005 में मुहम्मद युनूस को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने इसी कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण एवं सूक्ष्म वित्त के शक्तिशाली तंत्र के रूप में कुछ संशोधित करके सन् 1990–91 में स्वीकार किया और उसके प्रचार–प्रसार की जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी गयी। बाद में इसका विस्तार करने की दृष्टिकोण से 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी स्वयं सहायता समूहों को बैंक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में बचत खाता खोलने की अनुमति प्रदान की। स्वयं सहायता समूह के प्रारम्भिक चरणों में इसे भारत के कुछ राज्यों जैसे–गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ किया गया।

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की शुरूआत जून, 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी। इसका मकसद गरीब ग्रामीण लोगों को स्वयं सहायता समूहों में व्यवस्थित करके उन्हें कौशल और वित्त प्रदान करके, गरीबी कम करने और मजदूरी रोजगार के अवसर पैदा करने की है। बुनियादी अवधारणा एक जैसी रहते हुए भी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वयं सहायता समूहों में कार्यकारी लचीलापन लाने के लिए कुछ अतिरिक्त तत्व जोड़े गए ताकि स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा अधिक मित्रवत और उपयोगी हो जाए और इससे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिले।

ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन आज की महती आवश्यकता है। देश में औपचारिक ऋण प्रक्रिया का तेजी से विस्तार होने के बावजदू बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गरीब ग्र मीणों की निर्भरता किसी तरह साहूकारों पर ही थी। ऐसी निर्भरता सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और जनजातियों के सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण कारीगरों में देखने को मिलती थी जिनकी बचत की राशि इतनी सीमित होती है कि बैंको द्वारा उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कई कारणों से इस वर्ग को दिए जाने वाले ऋण को संस्थागत नहीं किया जा सका हैं।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाए गए अनौपचारिक समूहों पर नाबार्ड, एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय ऋण संघ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गए अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि स्वयं सहायता बचत और ऋण समूहों में औपचारिक बैंकिंग ढांचे और ग्रामीण गरीबों को आपसी लाभ के लिए एक साथ लाने की संभाव्यता है तथा उनका कार्य उत्साहजनक था।

स्वयं सहायता समूहों का लक्ष्य –

- गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- स्कूली शिक्षा में योगदान करना।
- पोषण में सुधार करना।
- जन्मदर में नियंत्रण करना।

ADVANCED SCIENCE INDEX

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा –

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अशिक्षा, ज्ञान और कौशल की कमी बेरोजगारी, कुपोषण, कमजोर स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के मकड़जाल में फंसा हुआ है। इन समस्त समस्याओं की जड़ निर्धनता है जो अन्य सभी समस्याओं का कारण भी है और परिणाम भी है। इनमें से किसी भी समस्या का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर सम्भव प्रतीत नहीं होता। यदि ऐसा हुआ होता तो व्यक्तिगत लाभार्थियों पर आधारित चलाए गए कार्यक्रमों से अधिसंख्य निर्धन जिन्हें 70, 80 और 90 के दशक में किसी न किसी कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई, परन्तु निर्धनता रेखा से ऊपर नही उठ पाये। विश्व के अनेक देशों में अनुभवजन्य अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ कि सामूहिक प्रयासों से इन समस्याओं का समाधान अधिक अच्छे ढंग से खोजा जा सकता है।

यह सामूहिक प्रयास एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों द्वारा छोटे–छोटे समूहों के रूप में संगठित होने के रूप में सामने आया। स्वयं सहायता समूहों का उदय कब और कहां हुआ, इसे

सुनिश्चित तौर पर निश्चित कर पाना कठिन है। लेकिन मोटे तारै पर यह कहा जा सकता हैं कि बांग्लादेश में नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मो. युनूस की पहल पर ग्रामीणों ने 15 व 20 व्यक्तियों के समूह बनाए। उसी दौरान लैटिन अमेरिकी देशों में सोलीडेरिटी ग्रुप्स और ग्रामीण बैंकिग की अवधारणा उभरकर सामने आ गयी। भारत में बचतों और साख संगठनों के रूप में लोगों के समूहबद्ध होने का इतिहास काफी पुराना और सुस्थापित है। प्रारम्भिक अवस्थाओं में गैर सरकारी संगठनों ने स्वयं सहायता समूह मॉडल के अभिनवीकरण में केन्द्रीय भूमिका निभाई। 1980 के दशक में नीतिकारों ने इस प्रकार की पहेली को समझा और विकास संगठनों तथा बैंकरों के साथ कार्य करते हुए बचतों और साख के इन समूहों के प्रोन्नयन पर विचार–विमर्श किया। आजकल इन समूहों को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है।

स्वयं सहायता समूह हाशिए पर रह रहे निर्धन लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पारस्परिक सहायता द्वारा खोजने के लिए उन्हें संगठित करने की एक विधि है। स्वयं सहायता समूह विधि सारे विश्व में सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रयुक्त की जा रही है। इन समूहों के सदस्य अपनी छोटी–छोटी बचतों को संगठित करके उन्हें बैंक में जमा करते हैं, इसके माध्यम से बैक ऋणों तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है। उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाते हैं।

90 के दशक तक आते–आते राज्य सरकारों, बैंकरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को एक वित्तीय मध्यस्थ मात्र के रूप में ही नहीं देखा गया, वरन् इसे सामूहिक हितों वाला एक ऐसा समूह माना गया जो सदस्यों की अन्य चिन्ताओं पर भी ध्यान देता है। यही कारण हैं कि स्वयं सहायता समूहों के कार्यवृत्त में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हैं।

स्वयं सहायता समूहों की कार्यविधि –

समूह की कार्यप्रणाली, नियमावली तथा पदाधिकारियों का निर्णय सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह करता है। प्राथमिक गतिविधि के रूप में समूह के सदस्य छोटी–छोटी बचत करके उन्हें समूह के खाते में जमा करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उस बचत में से समूह के सदस्य को ऋण देते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह बचत एवं साख समूह के रूप में कार्य प्रारम्भ करते है। सामान्यतः एक वर्ष तक बचत एवं साख गतिविधि सफलतापूर्वक कर लेने के पश्चात् आर्थिक गतिविधियों को हाथ में लिया जाता है तथा ऋण प्रदाता बैंक या अन्य संस्था द्वारा समूह संचालन, बचत, ऋण तथा उसकी बैठक एवं कार्यवृत्त इत्यादि के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है।

संक्षेप में, स्वयं सहायता समूह नाम की इस याजे ना में पहले दस से बीस लोग अपना एक समूह बनाते हैं और आपस में चंदा जमा करके कुछ धन एकत्र करते हैं। फिर ये लोग उस धन से आपस में कर्ज देते हैं और वसूलते हैं। विस्तृत रूप में एक समूह की स्थापना से लेकर सफल संचालन की कार्यविधि निम्नवत है –

- समूह का पंजीकरण
- समूह की सदस्यता
- चुनाव
- समूह का बैंक में खात खुलवाना
- जमा की न्यूनतम धनराशि
- ऋण प्राप्त करने की विधि
- ऋण वापसी की विधि
- हिसाब किताब की विधि
- नियमित साप्ताहिक बैठक
- नियमित साप्ताहिक बचत
- नियमित रूप से आंतरिक ऋण प्रदान करना
- नियमित ऋण वापसी
- समूह की खाताबही नियमित रूप से लिखा जाना

स्वयं सहायता समूहों की कमी या दोष –

❖ आपसी विश्वास की कमी

- ऋण वापसी में असुविधा
- बैंको की उदासीनता
- सदस्यों में शिक्षा का अभाव
- आधुनिक हिसाब–किताब की पद्धति का अभाव
- अपंजीकृत समूहों पर साहुकारां` का प्रभाव
- ऋण का गैर अनुत्पादकिय कार्यों में प्रयोग
- समूह के प्रति सरकार का प्रोत्साहन में कमी
- प्रचार–प्रसार की कमी
- महिला सदस्यों के प्रति परिवार (पति) द्वारा उपेक्षा

ऐसे स्वयं सहायता समूह जो उनके सदस्यों द्वारा संचित बचतों और बाह्म स्रोतों से प्राप्त निधियों को अपने सदस्यों को उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करते है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवाएं व्यक्तिगत उधार प्राप्त कर्त्ताओं को प्रदान करने के लिए गठित स्वयं सहायता समूह। अनेक प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय संगठनों के लिए स्वयं सहायता समूह वाक्यांश का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन भारत में यह बचतों को संचित करने और साख संघों के रूप में संगठित समूहों, जिन्हें सरकारी एजेन्सियों, गैर सरकारी संगठनों या बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. यादव, उत्तरा; ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर ,साहित्य संगम पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2004 पृष्ठ. 26
2. यादव, उत्तरा; ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर, साहित्य संगम पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2004, पृष्ठ,124
3. ओमप्रकाश ; स्व सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, निर्धनतम तक पहुंच एवं प्रभाव, रीगल पब्लिकेशन – 2010. पृष्ठ. 296–299
4. सिंह, उपेन्द्र प्रकाश; ''ग्रामीण पलायन रोकने में कारगर स्व सहायता समूह'', कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2010. पृष्ठ. 26–30
5. फ्रांसिस, वेरूनिलम; ''गांवों की गरीबी के कारण और निवारण'', खादी ग्रामोद्योग अगस्त 1980
6. Krishnamachari, V. T. ; Community development in India, New Delhi, Govt. of India, Publication Division, 1958
7. Raj, K. N. ; Changing outlook in Indian agriculture, In the Listner, August 1960. p.18
8. National Commission On Agriculture 1971, An Interim Report on Credit Service for Small Farmers/Marginal Farmers and Agriculture Labours, New Delhi Govt. of India.
9. NABARD; Banking with the poor, Financing Self Help-Groups, NABARD, Hydrabad 2000. PP.3-15

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia
SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY
ADVANCED SCIENCE INDEX